कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन–2 / 2024 / 152   भिलाई, दिनांक : 10 / 07 / 2024

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 / रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2020, विद्युत एस.ओ.आर. 01.06.2020 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम / अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु निम्नानुसार दिनांक एवं समय तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा जारी करने की तिथि – 10.07.2024
2. आवेदन की अंतिम तिथि – 31.07.2024 सायं 5:30 बजे तक
3. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 06.08.2024 सायं 5:30 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की तिथि – 07.08.2024

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारो की श्रेणी	फार्म
1	मूलभूत सुविधा अंतर्गत जोन क्र. 02 अंतर्गत नाली का संधारण कार्य।	3.98	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	जोन क्र. 02 वैशालीनगर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों के पेवर ब्लॉक एवं पुलिया संधारण कार्य।	3.97	4000.00	750.00	90 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	पार्षद निधि अंतर्गत वार्ड क्र. 16 इंदिरा नगर सुपेला में पाईप लाईन विस्तारीकरण कार्य।	0.60	1500.00	300.00	30 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म ए. एवं ए. बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें:–1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता / जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी **ई–पंजीयन**, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की **एफ.डी.आर.** नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिको से संबंधित कार्यो हेतु श्रमिकों का **पी.एफ.** कटौती किया जाना हैं तथा बैंको मे खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते मे श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. **शपथ पत्र**। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि / निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि / खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि कें पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित / नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.–02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईटwww.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चिप्स की वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक–02
नगर पालिक निगम,
भिलाई